

## न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- जीतू कुलहरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 294/2021

दायर दिनांक 18.10.2021

## वादी

1. सुशीला पत्नि सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी तोषिणा उप तहसील छोटी खाटू तहसील डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।

## प्रतिवादीगण

1. किसनाराम पुत्र नारायणराम
2. खींवाराम पुत्र नारायणराम
3. शिवलाल पुत्र नारायणराम समस्त जाति खटीक निवासीगण तोषिणा उप तहसील छोटी खाटू तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
4. जरीना पुत्री मोहम्मद सुल्तान
5. जायदा पुत्री मोहम्मद सुल्तान
6. मुस्ताक अली पुत्र मोहम्मद सुल्तान
7. मेहरूनिशा पुत्री मोहम्मद सुल्तान
8. मोहम्मद युसुफ पुत्र मोहम्मद सुल्तान
9. शमशाद बानो पुत्री मोहम्मद सुल्तान
10. सुगरा पत्नि मोहम्मद सुल्तान समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण तोषिणा उप तहसील छोटी खाटू तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
11. तहसीलदार डीडवाना
12. नायब तहसीलदार छोटी खाटू।

## बनाम्

## दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

## उपस्थित:-

श्री रघुवीर सिंह शेखावत वकील वादी

-:: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 17.08.2023

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा ग्राम तोषिणा पटवार हल्का तोषिणा, भू-अभिलेख नि0 तोषिणा तहसील डीडवाना के खेत खसरा सं0 1287/651 रकबा 0.3500 हैक्टे0, खसरा सं0 650 रकबा 0.0300 हैक्टे0 गै0मु0 सड़क, खसरा सं0 651 रकबा 0.0900 हैक्टे0, खसरा सं0 651/1079 रकबा 0.0500 हैक्टे0 एवं खसरा सं0 661 रकबा 0.0200 हैक्टे0 कुल रकबा 0.5400 हैक्टे0 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 19.07.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना ( )



तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 316 दिनांक 04.07.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 316 दिनांक 04.07.2023 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा ग्राम तोषीणा पटवार हल्का तोषीणा, भू-अभिलेख नि० तोषीणा तहसील डीडवाना/खाटू खुर्द के खेत खसरा सं० 1287/651 रकबा 0.3500 हैक्टे०, खसरा सं० 650 रकबा 0.0300 हैक्टे० गै०मु० सड़क, खसरा सं० 651 रकबा 0.0900 हैक्टे०, खसरा सं० 651/1079 रकबा 0.0500 हैक्टे० एवं खसरा सं० 661 रकबा 0.0200 हैक्टे० कुल खसरा 5, कुल रकबा 0.5400 हैक्टे० भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 316 दिनांक 04.07.2023 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 316 दिनांक 04.07.2023 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(जीतू कुलहरी, R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर  
उपरकाश अधिकारी  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 17.08.2023 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी, R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इत्दाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : जीतू कुलहरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 294/2021  
वादी

दायर दिनाँक 18.10.2021

प्रतिवादीगण

1. सुशीला पत्नि सत्यनारायण  
जाति ब्राह्मण निवासी  
तोषिणा उप तहसील छोटी  
खाटू तहसील डीडवाना  
जिला-नागौर, राजस्थान।

1. किसनाराम पुत्र नारायणराम
2. खींवाराम पुत्र नारायणराम
3. शिवलाल पुत्र नारायणराम समस्त जाति  
खटीक निवासीगण तोषिणा उप तहसील छोटी  
खाटू तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
4. जरीना पुत्री मोहम्मद सुल्तान
5. जायदा पुत्री मोहम्मद सुल्तान
6. मुस्ताक अली पुत्र मोहम्मद सुल्तान
7. मेहरुनिशा पुत्री मोहम्मद सुल्तान
8. मोहम्मद युसुफ पुत्र मोहम्मद सुल्तान
9. शमशाद बानो पुत्री मोहम्मद सुल्तान
10. सुगरा पत्नि मोहम्मद सुल्तान समस्त जाति  
व्यापारी मुसलमान निवासीगण तोषिणा उप  
तहसील छोटी खाटू तहसील डीडवाना जिला  
नागौर राज0
11. तहसीलदार डीडवाना
12. नायब तहसीलदार छोटी खाटू।

बनाम्

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 17.08.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब  
मुददई श्री रघुवीर सिंह शेखावत वकील वादी की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया  
जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा ग्राम तोषिणा पटवार हल्का तोषिणा,  
भू-अभिलेख नि0 तोषिणा तहसील डीडवाना/खाटू खुर्द के खेत खसरा सं0 1287/651 रकबा  
0.3500 हैक्टे0, खसरा सं0 650 रकबा 0.0300 हैक्टे0 गै0मु0 सड़क, खसरा सं0 651 रकबा 0.  
0900 हैक्टे0, खसरा सं0 651/1079 रकबा 0.0500 हैक्टे0 एवं खसरा सं0 661 रकबा 0.0200  
हैक्टे0 कुल खसरा 5, कुल रकबा 0.5400 हैक्टे0 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा  
खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त  
विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 316 दिनाँक 04.07.2023 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को  
स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 316 दिनाँक 04.07.2023  
नेर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।  
नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें  
के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर  
अदालत के आज की तारीख 17.08.2023 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
उपडीडवाना अधिकारी  
डीडवाना ( )

	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर अधिकारी  
डीडवाना